भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
कोचिन COCHIN
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई एस प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.II/ 39/ 21/ 2012-हिन्दी /के.उ.शु. दिनांक/Dated: 10 .11.2016

परिपत्र /CIRCULAR

विषय : विभागीय पत्रिका 'कैरली' का प्रकाशन - संबन्धित ।

Sub: Publication of the Departmental Magazine "KAIRALI" - Reg.

* * * * * * * * * * * *

केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन,आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन -18 की गृह पत्रिका "कैरली" का अगला अंक जनवरी, 2017 में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय, कोचिन में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि उक्त पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की स्वरचित हिन्दी, अँग्रेजी तथा मलयालम रचनाएं जल्द से जल्द अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें।

The next edition of the Departmental Magazine "KAIRALI" of the Commissionerate of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin-18 is proposed to be published in January, 2017. All Officers and Employees working in Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin Commissionerate are requested to send articles in Hindi, English or in Malayalam written by them or by their family members, suitable for publication, to the undersigned.

विभागीय गृह पत्रिका "कैरली" में तीन भाषाएं यानी हिन्दी, मलयालम तथा अँग्रेजी में समग्रियाँ प्रकाशित की जाएंगी । कोचिन आयुक्तालय के सभी मण्डल कार्यालयों और अनुभागों के प्रमुखों से अनुरोध है कि कृपया इसका व्यापक प्रचार करें । रचनाएं तथा प्रकाशन योग्य अन्य सामग्रियाँ 31.12.2016 तक स्वीकार किए जाएँगे ।

The House Magazine will be published in 3 languages i.e., in Hindi, English and Malayalam. All Divisional Heads/ Section Heads of Central Excise & Customs Commissionerate, Cochin are requested to circulate this circular in their respective section to give wide publicity regarding the matter. The articles will be received up to 31.12.2016.

(अमरनाथ केसरी/AMARNATH KESARI)
संयुक्त आयुक्त(का व सत.)
JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है /Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner, Central Excise & Customs, Kerala Zone, Cochin-18.
2. The Pr.Commissioner, Central Excise & Customs, Cochin.
3. Additional Commissioners,CCO Cochin.

प्रतिलिपि /Copy to:

4. All Deputy Commissioners/ Asst. Commissioners in the Hqrs./ Divisions, Cochin.
5. All Sections in Hqrs./ Divisions/ Ranges, Cochin.